

2019/00125  
न्यायालय सहायक कलक्टर फलौदी जिला जोधपुर  
बड़जलास-यशपाल आहूजा (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद सं 85/2019  
वादीगण

बनाम

प्रतिवादीगण

1. भिनजीराम पुत्र मनसुख राम  
जाति मेघवाल निवासी होपारडी

1. भाउराम पुत्र पोकरराम जाति  
मेघवाल निवासी मोखेरी
2. मगाराम पुत्र गुलावाराम
3. ठाकरराम पुत्र सालगराम
4. चम्पा पत्नि सालगराम
5. रेवतराम पुत्र गुलावाराम
6. मोडाराम पुत्र गुलावाराम
7. कालुराम पुत्र कबीराराम  
सभी जाति मेघवाल निवासी होपारडी
8. शाखा प्रबंधक यूकों बैक शाखा फलौदी
9. शाखा प्रबंधक आई सी आई सी आई  
फलौदी
10. शाखा प्रबंधक एसबीआई फलौदी
11. तहसीलदार फलौदी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

परिस्थित:-

1. श्री ललित जोशी अधिवक्ता वादी
2. श्री विकास चौधरी अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 01 ता 7

निर्णय

दिनांक :- 30.12.2019

री का वाद प्राथमिक डिक्री किया गया जाकर तहसीलदार फलौदी को विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत करने लिए तहरीर जारी की गयी जिसकी पालना में तहसीलदार फलौदी ने विभाजन प्रस्ताव पेश किया धेवक्ता वादी व अधिवक्ता प्रतिवादी ने विभाजन प्रस्ताव अनुसार अंतिम डिक्री जारी करने पर अपनी इमती प्रदान की । पत्रावली पर उपलब्ध विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया बाद अवलोकन वादी वाद माफिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिक्री किया जाना उचित प्रतित होता है अतः वादी का वाद फिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिक्री योग्य पाया जाता है

आदेश

वादी का अंतिम डिक्री किया जाता है ग्राम होपारडी के खेत खसरा संख्या 171/1 रकबा 107.02 बीघा भूमि में से वादी को खसरा संख्या 171/1 में रकबा 35.13 बिघा, प्रतिवादी संख्या 02 , 05,06 व सालगराम के कायम मुकाम के बंट खसरा संख्या 171/1 मी. में रकबा 35.13 बिघा भूमि, प्रतिवादी संख्या 07 के बंट खसरा संख्या 171/1 मी में रकबा 35.14 बीघा भूमि, प्रतिवादी संख्या 01 के बंट खसरा संख्या 171 में रकबा 22.11 बीघा भूमि माफिक विभाजन प्रस्ताव में नजरी नक्शा अनुसार रखी जाती है। तहसीलदार फलौदी को आदेश दिया जाता है की माफिक निर्णय राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद करें। विभाजन प्रस्ताव के साथ नजरी नक्शा निर्णय का भाग रहेगा। माफिक आदेश अंतिम डिक्री पर्चा अलग से मूर्तिव हो। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखिल दफतर हों। निर्णय आज दिनांक 30.12.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

  
यशपाल आहूजा (आर.ए.एस.)  
सहायक कलक्टर  
फलौदी

**डिगरी बमुकदमें इब्तादाई**  
(आदेश 21 नियम 6,7 जाब्ता दीवानी)  
अज अदालत श्री सहायक कलक्टर फलौदी  
बइजलास श्री यशपाल आहूजा (आर. ए. एस.)

वादीगण  
1. मिनजीराम पुत्र मनसुख राम  
जाति मेघवाल निवासी होपारडी

प्रतिवादी  
भाउराम पुत्र पोकरराम जाति  
मेघवाल निवासी मोखेरी  
2. मगाराम पुत्र गुलावाराम  
3. ठाकरराम पुत्र सालगराम  
4. चम्पा पत्नि सालगराम  
5. रेवतराम पुत्र गुलावाराम  
6. मोडाराम पुत्र गुलावाराम  
7. कालुराम पुत्र कवीराराम  
सभी जाति मेघवाल निवासी होपारडी  
8. शाखा प्रबंधक यूकों वैक शाखा फलौदी  
9. शाखा प्रबंधक आई सी आई सी आई  
फलौदी  
10. शाखा प्रबंधक एसवीआई फलौदी  
11. तहसीलदार फलौदी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

द संख्या 85/2019  
ह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रुबरु मेरे व हाजिर श्री ललित कुमार जोशी अधिवक्ता  
मिनजानिब व श्री विकास चौधरी मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुकम दिया जाता है कि वादी का  
तिम डिकी किया जाता है ग्राम होपारडी के खेत खसरा संख्या 171/1 रकबा 107.02 बीघा भूमि में  
वादी को खसरा संख्या 171/1 में रकबा 35.13 बिघा, प्रतिवादी संख्या 02, 05, 06 व सालगराम  
कोयम मुकाम के बंट खसरा संख्या 171/1 मी. में रकबा 35.13 बिघा भूमि, प्रतिवादी संख्या 07 के  
ट खसरा संख्या 171/1 मी में रकबा 35.14 बीघा भूमि, प्रतिवादी संख्या 01 के बंट खसरा संख्या  
71 में रकबा 22.11 बीघा भूमि माफिक विभाजन प्रस्ताव में नजरी नक्शा अनुसार रखी जाती है।  
हसीलदार फलौदी को आदेश दिया जाता है की माफिक निर्णय राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करें।  
भाजन प्रस्ताव के साथ नजरी नक्शा निर्णय का भाग रहेंगा। मुतालिक

बाबत

र्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर फीस सदी सालाना आज की तारीख को अदा करें।

सूल याबी तक

सब्त मरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 30 माह 12 सन् 2019 को जारी की गई।

दस्तखत  
ओहदा

मुहर	रुपया	पैसे	मुदायला	रुपया	पैसे
मुदई	-	-	अर्जी दावा स्टाम्प	-	-
अर्जी दावा स्टाम्प			वकालतनामा		
वकालतनामा			स्टाम्प वजह सबूत		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनतनामा वकील		
मेहनतनामा वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीशनर		
फीस कमीशनर			बाबत् इजराय हुकमनामा		
बाबत् इजराय हुकमनामा			मिजान		
मिजान					

नोट:- इस खर्च के फॉर्म पर कुल खर्च यह हो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो न तो दर्ज किया जावे।

